

**कार्यालय, विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चीमू**

संख्या \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

**संपरिवर्तन आदेश**

श्री गणपति एज्युकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी, ग्राम खेजरोली जरिये अख्यत रमेश चन्द पुत्र सुरजमल, जाति जाट, निवासी 8ख-22, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्व नू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अक्षुषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8(2)/8(3) के अधिन अक्षुषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं -

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	-	गणपति एज्युकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी, ग्राम खेजरोली जरिये अख्यत रमेश चन्द पुत्र सुरजमल, जाति जाट, निवासी 8ख-22, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	-	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का खोरा	-	खेजरोली, ग्राम पंचायत खेजरोली, पंचायत गोविन्दगढ़, तहसील चीमू (जयपुर)
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	-	खेजरोली, ग्राम पंचायत खेजरोली, पंचायत गोविन्दगढ़, तहसील चीमू (जयपुर)
	(ख) भूमि का खलरा नं. और प्रत्येक ख.नं. का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	-	ख. नं. 8192 रकबा 0.83 है०
	(ग) प्रत्येक ख. नं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर में या वर्गमीटर में)	-	ख. नं. 8192 रकबा 0.83 है० में से 4000 वर्गमीटर
	दिनांकी-अक्षुषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि की बराती हुए, राजस्व नकल के सुसुगत भाग की सम्पत्ति रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है	-	संलग्न है।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	-	व्यवसायिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ
5.	संदेह प्रीमीयम की दर	-	8/- 16/- एवं 32/- रु. प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या, तारीख सहित प्रिनिधन की राशि	-	च.नं. 1007,1008 दि.27.12.08 रु. 84000/-
7.	चालान की सं. तथा तारीख सहित शरित यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	-	च.नं. 1007 दि. 27.12.08 रु. 23400/-
8.	चालान की सं. तथा तारीख सहित धारा यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	-	-
9.	क्या आदेश निवृत्तीकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है	-	है
10.	क्या कोई विशिष्टता यदि कोई हो	-	-
11.	उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्न शिष्टियां सर्वां को अध्याधीन होना -	-	-

1. उपरोक्त अक्षुषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति प्राप्त किसे किया किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदन इस आवेदक के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो, अनुज्ञा प्रत्याहट कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन संप्रतुत हो जायेगा।
3. नियम 4 में उल्लेखित भूमि का उपयोग अक्षुषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकसेवाधीन प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विहित मान्य अनुज्ञा प्राप्त किसे दिसा नहीं किया जायेगा।
5. राजस्व (ग्रुप-8) विभाग के पत्रंक प-8(26) राज/ग्रुप-8/04/घट जयपुर दिनांक 30.12.2008 की राजस्व से अंकित सर्त अनुसार व व्यतिथिक प्रयोजनार्थ जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को देय राशि अदा की जाये।

विहित प्राधिकारी की मुहर संख्या

**उप्य प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)**  
जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार  
दिनांक 28/12/08

क्रमांक 812/06/33504-53  
प्रतिलिपि -

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, (राजस्व/राशेखा) जयपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार चीमू।
3. राजस्व ग्राम पंचायत खेजरोली।
4. आवेदक गणपति एज्युकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी, ग्राम खेजरोली जरिये अख्यत रमेश चन्द पुत्र सुरजमल, जाति जाट, निवासी 8ख-22, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर



प्रारूप (ख),  
देखिए नियम 9(3), (4) और (6)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

क्रमांक आर.ए./रूपा0/18/01

दिनांक 25/11/18

**संपरिवर्तन आदेश**

गणपति एज्युकेशन एण्ड मेडीकेयर सोसायटी खेजरोली के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	गणपति एज्युकेशन एण्ड मेडीकेयर सोसायटी खेजरोली
2	क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	खेजरोली ए. खेजरोली, चौमूं।
	(ख)भूमि का खसरा सख्या एवं प्रत्येक ख0स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख0न0 6192/1 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 हैक्ट0
	(ग) प्रत्येक ख0 स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में) टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख0न0 6192/1 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 हैक्ट0 में से 4300 वर्गमी0
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमीयम की दर	26.73/- प्र0व0मी0
6	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. 252 (GRN 3019535) दिनांक 12. 08.2014 जमा दिनांक 13.08.2014 से रु0 43000/-, चा.न. 521 (GRN 4919048) दिनांक 09.02.15 जमा दिनांक 15.02. 2015 से रु0 18000/- चा.न.358 (GRN 20532204) दिनांक 08.01.2018 जमा दिनांक 08.01.2018 से रु0 53950/-, / कुल रु0 114950/-
7	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
8	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	---
10	अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	ख0न0 9320/6193 रकबा 0.342 है0 क्रिसम गै0मु0 रास्ता आवेदक संस्था द्वारा निःशुल्क राजहित में रास्ते के लिये समर्पित की गई है।



M  
उपखण्ड अधिकारी चौमूं

उपखण्ड अधिकारी  
चौमूं जिला-जयपुर



11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जावेगा।
6. आवेदक को जिला स्तरीय समिति से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन करवाना होगा।
7. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 6 (6) राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
8. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 एव इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर



प्रतिलिपि :-

क्रमांक सम/18/02-05


दिनांक 25/1/18

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमू।
3. ग्राम पंचायत खेजरोली पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर।
4. आवेदक गणपति एज्युकेशन एण्ड मेडीकेयर सोसायटी खेजरोली।



(प्रियव्रत सिंह चारण)  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड चौमू (जयपुर)  
चौमू जिला-जयपुर





Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री M/S GANPATI EDUCATION AND MEDICARE SOCIETY KHEJROLI JARIYE DIR. RAMESH CHOUDHARY, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURAJMAL CHOUDHARY, व्यवसाय Farmer जाति JAT House No.:0, Colony: GULIYO KI DHANI RADHASWAMI BAG, Area: JAITPURA, City: CHOMU, Pin code: 303704, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 40 Signature : 

ने लेख्यपत्र Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 114950/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 114950/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MAHESH KUMAR MEENA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOOLCHAND MEENA जाति JAT Age: 35 Add: House No.:0, Colony: JAJOD KHEDI, Area: NIMEDA, City: SRIMADHOPUR, Pin code: 303005, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature 
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री PAPPU KUMAR SAINI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SITA RAM SAINI जाति MALI Age: 38 Add: House No.:0, Colony: 0, Area: MORIJA, City: CHOMU, Pin code: 303805, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature 

201801059001448

उप. पंजीयक CHOMU

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.





Presentation Endorsement

आज दिनांक 29 माह 03 सन् 2018 को 11:58 AM बजे  
श्री/श्रीमती/सुश्री M/S GANPATI EDUCATION AND MEDICARE  
SOCIETY KHEJROLI JARIYE DIR. RAMESH CHOUDHARY  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURAJMAL CHOUDHARY  
उम्र 40 वर्ष, जाति JAT, व्यवसाय Farmer  
निवासी House No.:0, Colony: GULIYO KI DHANI RADHASWAMI BAG  
, Area: JAIPURA, City: CHOMU, Pin code: 303704, District:  
JAIPUR, State: RAJASTHAN  
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  
201801059001448

हस्ताक्षर उप पंजीयक,  
CHOMU

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802059001273
दिनांक	29-03-2018
पंजीयन शुल्क ₹	1150
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	3449
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	690
कुल योग	5589

201801059001448

हस्ताक्षर उप पंजीयक,  
CHOMU

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 114950 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 3449 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 1150, सरकार्ज राशि 690 कुल रु 5289 रसीद संख्या 201802059001273 दिनांक 29-03-2018 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 3449 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801059001448

उप पंजीयक, CHOMU

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Registration Endorsement

आज दिनांक 29/03/2018 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 642 में  
पृष्ठ संख्या 194 क्रम संख्या 201803059101038 पर पंजीबद्व किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2347 के  
पृष्ठ संख्या 276 से 283 पर चस्पा किया गया ।

201801059001448

उप पंजीयक, CHOMU

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.